Amar Ujala Dt:13/11/2026

एसओएस के दो अध्ययन केंद्र बंद

धर्मशाला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के दो अध्ययन केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर संबंधित स्कूलों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड बंद किए अध्ययन केंद्रों में दया शंकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दड़ूडी भोला (नालागढ़), जिला सोलन और होली ब्लॉसम पब्लिक स्कूल हरसर-देहरी, जिला कांगड़ा शामिल हैं। ब्यूरो

पंजाब केसरी
FRI,13 NOVEMBER 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 1

एच.पी.एस.ओ.एस. केंद्रों पर बोर्ड का शिकंजा, सोलन व कांगड़ा के केंद्र बंद

■ विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा आर्थिक बोझ, निकटतम केंद्रों में होंगे शिफ्ट

धर्मशाला, 12 नवम्बर (सुनील): हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर शिकंजा कसते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के दो एस.ओ.एस. अध्ययन केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।



बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंद किए गए केंद्रों में जिला सोलन के दादी भोला (नालागढ़) स्थित दया शंकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (केंद्र संख्या 1130) और जिला कांगड़ा के हरसर देहरी स्थित होली ब्लॉसम पब्लिक स्कूल (केंद्र संख्या 0488) शामिल हैं।

बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। आगामी सत्र के लिए यदि किसी विद्यार्थी का प्रवेश इन दोनों केंद्रों के माध्यम से पहले ही हो चुका है, तो उसे निकटतम सक्रिय एवं मान्यता प्राप्त एच.पी.एस.ओ.एस. अध्ययन केंद्र में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा या अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए केंद्र परिवर्तन का निर्धारित शुल्क संबंधित मूल केंद्र को ही वहन करना होगा।



अभिलेख सुरक्षित रखने और लिखित घोषणा पत्र देने के सख्त निर्देश

बोर्ड ने संबंधित दोनों विद्यालयों को एच.पी.एस.ओ.एस. से जुड़े सभी रिकॉर्ड भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी सहायक प्रपत्र (एस.ए.एफ.), आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश एवं नाम वापसी रजिस्टर और शुल्क रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों विद्यालय प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से बोर्ड कार्यालय में लिखित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं।

दिव्य हिमाचल E-Paper
देवभूमि का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया

एसओएस के दो अध्ययन केंद्र बंद

नालागढ़-हरसर देहरी सेंटर पर शिक्षा बोर्ड की बड़ी कार्रवाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के अध्ययन केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। तय नियमों के तहत खामियां पाए जाने के कारण बोर्ड ने प्रदेश के दो अध्ययन केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा के अनुसार बंद किए गए केंद्रों में जिला सोलन के दादी भोला नालागढ़ स्थित दया शंकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का केंद्र संख्या 1130 तथा जिला कांगड़ा के हरसर देहरी स्थित होली ब्लॉसम पब्लिक स्कूल का केंद्र संख्या 0488 शामिल हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगामी सत्र के लिए यदि किसी विद्यार्थी का प्रवेश इन केंद्रों के माध्यम से पहले ही हो चुका है, तो उसे निकटतम सक्रिय एवं मान्यता प्राप्त एचपीएसओएस अध्ययन केंद्र में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन का निर्धारित शुल्क संबंधित मूल केंद्र को ही वहन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।



- विद्यार्थियों को नजदीकी केंद्रों में किया जाएगा समायोजित

लिखित घोषणा-पत्र देना अनिवार्य

डा. शर्मा ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। इसी क्रम में दोनों विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बोर्ड कार्यालय में लिखित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

Himachal Dastak Dt: 13/11/2026

एचपीएसओएस के दो अध्ययन केंद्र तत्काल प्रभाव से किए बंद

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ धर्मशाला

■ नालागढ़ और कांगड़ा के हरसर देहरी स्थित केंद्रों पर शिक्षा बोर्ड की कार्रवाई

■ विद्यार्थियों को नजदीकी केंद्रों में किया जाएगा समायोजित

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (एचपीएसओएस) के दो अध्ययन केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें सोलन के नालागढ़ स्थित दया शंकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कांगड़ा के हरसर देहरी स्थित होली ब्लॉसम पब्लिक स्कूल शामिल हैं।



बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि नालागढ़ के केंद्र संख्या 1130 और हरसर देहरी के केंद्र संख्या 0488 को बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से आगामी सत्र के लिए प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को निकटतम सक्रिय एवं मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्रों में समायोजित किया जाएगा। केंद्र परिवर्तन का निर्धारित शुल्क भी संबंधित मूल अध्ययन केंद्र को ही वहन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। बोर्ड ने संबंधित विद्यालयों को विद्यार्थियों के प्रवेश प्रपत्र, दस्तावेज, प्रवेश एवं नाम वापसी रजिस्टर और शुल्क संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दोनों विद्यालयों को तत्काल बोर्ड कार्यालय में लिखित घोषणा पत्र भी जमा करवाना होगा। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Dainik Jagran Dt: 13/11/2026

एसओएस के दो अध्ययन केंद्र बंद करने के निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के दो अध्ययन केंद्रों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि इनमें दादी भोला (नालागढ़) स्थित दया शंकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का केंद्र संख्या 1130 व कांगड़ा के हरसर देहरी स्थित होली ब्लासम पब्लिक स्कूल का केंद्र संख्या 0488 शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी सत्र के लिए यदि किसी विद्यार्थी का प्रवेश इन केंद्रों के माध्यम से पहले हो चुका है तो उसे निकटतम मान्यता प्राप्त एसओएस अध्ययन केंद्र में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन का निर्धारित शुल्क संबंधित मूल केंद्र को ही वहन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों को असुविधा न हो। संबंधित विद्यालयों को एसओएस से जुड़े सभी अभिलेख भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं। इनमें विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित सहायक प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश एवं नाम वापसी रजिस्टर, शुल्क रिकार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। डा. राजेश ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

एसओएस के अध्ययन केंद्रों पर बोर्ड की कार्रवाई, मान्यता रद्द

सवेरा ब्यूरो शिमला, 12 नवंबर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के अध्ययन केंद्रों पर कार्रवाई की है। बोर्ड ने 12 नवंबर को कुछ अध्ययन केंद्रों को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। इन केंद्रों के माध्यम से दसवीं और जमा दो की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब दूसरे अधिकृत अध्ययन केंद्रों का रुख करना पड़ सकता है। बोर्ड की इस कार्रवाई का मकसद एसओएस के तहत पढ़ाई की व्यवस्था को नियमों के अनुसार चलाना और अध्ययन केंद्रों की जवाबदेही तय करना है। अध्ययन केंद्र रद्द होने के बाद संबंधित संस्थान एसओएस के विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रवेश से जुड़ी सुविधाएं नहीं दे सकेंगे। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जो इन केंद्रों में पहले से पढ़ रहे हैं या आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनकी पढ़ाई और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया आगे किस केंद्र से पूरी होगी।